हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु

26.09.2016 उभय पक्ष के अधिवक्ताकगण उपस्थित। प्रकरण में वादी सोहनलाल आदि की और से जरीये अधिवक्तता दिनांक 17.06.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे है उनको रोका जावे लेकिन प्रतिवादीगण दावा के बीच में कब्जा कर लिया जिसके खिलाफ अब वादीगण द्वारा नया दावा पेश कर दिया है जो धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। अतः उक्त अनवानी वाद को विड्रा किया जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई गई प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.06.2016 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी नें प्रतिवादी के विरूद्ध बिना किसी आधार के अपनी इच्छा से दावा प्रस्तुत कर दिया और अब यह कथन करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कि वादी प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहता है वादी नें प्रतिवादी के विरूद्ध जो दावा प्रस्तुत किया है उसके फलस्वरूप प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से न्यायालय में आकर वकील नियुक्त करना पड़ा और खर्चा से जेरबार होना पड़ा इसलिये वादी को यह वाद वापस लेकर नया वाद प्रस्तुत करनें की कानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उभयपक्ष की बहस दिनांक 21.09.2016 को सुनी गई वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि वादी द्वारा बिना वजह परेशान किया जा रहा है, और न्यायालय का समय बर्बाद कर रहा है। वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रा करनें का प्रार्थना पत्र परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए 500/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर